XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बार टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
09.09.2011		

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

राजस्व पुनरीक्षण वाद संख्या–124/2008

धारा 21 B.P.P.H.T Act अंतर्गत

लक्ष्मी नारायण महतो, पिता स्व0 सीताराम महतो, साकिन–बरदेला, थाना–धमदाहा जिला– पूर्णियाँ

.....आवेदक

बनाम

1. राज्य
2. ओम प्रकाश महतो, पिता स्व0 रामेश्वर महतो साकिन– बरदेला, थाना–धमदाहा जिला– पूर्णियाँ

.....विपक्षी–1

.....विपक्षी–2

आदेश

आवेदक द्वारा अंचल पदाधिकारी, धमदाहा द्वारा बासगीत पर्चा वाद सं0–16/97–98 में पारित आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। आवेदक का कथन है कि विपक्षी सं0–2 ने मौजा–बरदेला, थाना नं0–192, खाता सं0–450, खेसरा सं0–474/1963, रकवा 07 डिसमिल जमीन का पर्चा गलत तरीके से बनवा लिया है। विपक्षी सं0–2 की माँ स्वास्थ्य केन्द्र में नर्स के पद पर नौकरी करती है। दिनांक 25.02.2008 को विपक्षी सं0–2 कुछ असामाजिक तत्वों के साथ आकर आवेदक को धमकी दिया कि उपरोक्त जमीन का पर्चा मेरे नाम बना हुआ है। तदुपरांत आवेदक अंचल कार्यालय में जाकर पता लगाया तो वास्तव में विपक्षी सं0–2 के नाम पर्चा बना हुआ था। विपक्षी सं0–2 के पास पर्याप्त सम्पत्ति है तथा खेसरा नं.0–326 एवं खेसरा नं0–468 में कुल 1.12 एकड़ जमीन भी है। इस प्रकार आवेदक के नाम निर्गत पर्चा गलत है। अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि विपक्षी के नाम निर्गत पर्चा को रद्द करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारंभ किया गया यह वाद निर्वहन योग्य नहीं है। आवेदक केवल विपक्षी को परेशान व बदनाम करने की नीयत से यह वाद प्रारंभ किया है। वास्तविकता यह है कि विपक्षी की माता आवेदक के पूर्वज की ही संतान है। विपक्षी सं0–2 का उम्र जब मात्र चार वर्ष था, उसी समय उनके पिता स्वर्गीय हो गये और विधवा माँ को बेसहारा देखकर विपक्षी के नाना–नानी ने अपने संरक्षण में रख लिया और उस समय से विपक्षी की माँ प्रश्नगत जमीन पर घर बनाकर अपने बच्चों की परवरिश करती आ रही है। इसके लिए विपक्षी ने अपने प्रत्युत्तर में वंशावली भी बनाकर प्रस्तुत किया है। विपक्षी सं0–2 का घर प्रश्नगत जमीन पर बना हुआ है। अतः अंचल पदाधिकारी ने विधि के अनुकूल पर्चा निर्गत किया है। अतः विपक्षी इस न्यायालय से निवेदन करता है कि आवेदक द्वारा प्रारंभ किये गए इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अंचल पदाधिकारी, धमदाहा ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि पर्चा वाली जमीन पर पर्चाधारी ओम प्रकाश महतो का घर बना हुआ है। वर्णित भूमि के मूल भूधारी सीताराम महतो के जमाबंदी सं0–450 से खारिज होकर जमाबंदी नं0–193 पर पर्चाधारी का नाम अंकित कर लगान वसूल किया जा रहा है।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 05.08.2011 को दोनों पक्ष को सुना गया। आवेदक का कथन है कि विपक्षी एक प्रश्रय प्राप्त रैयत नहीं है एवं उनकी माँ एक सरकारी सेवक (ANM) है। उनके पास एक एकड़ से ज्यादा जमीन उपलब्ध होने की बात भी कही गयी। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक के द्वारा कही गयी जमीन उनके पास नहीं है। परन्तु उनके पिता के नाम पर है। विपक्षी के द्वारा यह भी कहा गया कि उनका दखल–कब्जा होने के बाद भी विवाद के कारण धारा–144 CRPC के अधीन निरोधात्मक कार्रवाई कार्रवाई की गयी। विपक्षी का यह भी कहना है कि उनके पास कोई जमीन नहीं है। विवादित जमीन में उनका दखल–कब्जा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं सुनवाई से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है एवं इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ